

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

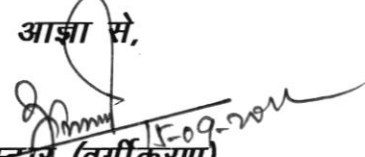
आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ. / 126 /2022

दिनांक : 15.09.2022

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ. / 105 / 2022 दिनांक 25.08.2022 के द्वारा श्रीमती अक्षि कंसल (RJ0667), विशिष्ट न्यायाधीश, सती निवारण प्रकरण, जयपुर महानगर-II को दिनांक 22.08.2022 से 21.10.2022 तक 61 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 21.08.2022 एवं 22.10.2022 से 27.10.2022 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, जिसमें से दिनांक 22.08.2022 से 25.08.2022 तक 04 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से,

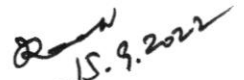

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:- स्था.बी.2 (4) / 35 / 2011 / 6327

दिनांक : 15.09.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-II को उनके पत्रांक 4701 दिनांक 27.08.2022 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती अक्षि कंसल (RJ0667), विशिष्ट न्यायाधीश, सती निवारण प्रकरण, जयपुर महानगर-II
4. विशिष्ट न्यायाधीश, सती निवारण प्रकरण, जयपुर महानगर-II
5. श्री नीरज गुप्ता (RJ0666), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-07, जयपुर महानगर-II
6. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-07, जयपुर महानगर-II
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर ।


सहायक रजिस्ट्रार